भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2928**

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**प्रगति मैदान में लगने वाले मेले के कारण प्रदूषण**

**2928. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:**

**श्रीमती छाया वर्मा:**

**चौधरी सुखराम सिंह यादव:**

 क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रति वर्ष लगने वाले विभिन्न मेलों के कारण वाहन प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य तत्वों की वृद्धि को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वों को कितना घातक बताया जा रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय इन बड़े आयोजनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य तत्वों से कम नुकसान हो इसके लिए आयोजकों को सावधानी बरतने की हिदायत जारी करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी, कानपुर द्वारा कराए गए स्रोत संविभाजन अध्‍ययन के अनुसार दिल्‍ली में वायु प्रदूषण के मुख्‍य स्रोतों में सड़क की धूल, वाहन उत्‍सर्जन, निर्माण और विध्‍वंस अपशिष्‍ट, उद्योग, जेनसेट और गौण विविक्‍त कण इत्‍यादि शामिल हैं। प्रगति मैदान के पास आईटीओ पर वायु गुणवत्‍ता मॉनीटरिंग स्‍टेशन का आंकड़ा अध्‍ययन मेले के दिनों के दौरान वायु प्रदूषण स्‍तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं दर्शाता है क्‍योंकि वायु प्रदूषण का स्‍तर अन्‍य कारकों के अलावा वायु गति तापमान व्‍युत्‍क्रम, मिश्रित ऊंचाई इत्‍यादि से भी प्रभावित होता है। जहां तक ठोस और तरल अपशिष्‍ट प्रबंधन का संबंध है उनका निराकरण संबंधित प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने प्रगति मैदान में मेले के आयोजकों को विशिष्‍ट निर्देश जारी नहीं किए हैं क्‍योंकि वायु प्रदूषण और अपशिष्‍ट के अन्‍य प्रकारों के मुद्दे पर अपशिष्‍ट प्रबंधन और उत्‍सर्जन/बहि:स्राव मानकों से संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

\*\*\*\*\*